पत्रांक 405 /अभि0

प्रेषक,

उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,
गिरिडीह ।

सेवा में,

प्रखंड विकास पदाधिकारी,
सरिया,बगोदर,डुमरी,पीरटांड,
गिरिडीह एवं बेंगाबाद ।

गिरिडीह, दिनांक 16/03/11

विषयः- एस0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने के संबंध में

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एस0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारं करने हेतु आपके प्रखंड के लिये स्वयं सेवी संस्था Agricultural Consultancy Rural Developme Institute Harmu, Ranchi को निम्न प्रखंडवार कार्यक्रमानुसार स्वीकृति दी जाती है :-

क0	प्रखंड	चयनित ट्रेड	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण अवधि	@3000/- रू0 प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम व्यय राशि
1	सरिया	बकरी पालन	30	15 दिन	90,000/-
2	बगोदर	मुर्गी पालन	30	,,	90,000/-
3	डुमरी	सुकर पालन	30	,,	90,000/-
4	पीरटांड	इम्ब्रायडरी	30	,,	90,000/-
5	गिरिडीह	फूल की खेती	30	,,	90,000/-
6	बेंगाबाद	फूल की खेती	30	,,	90,000/-

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के आधार पर संबंधित सभी प्र0वि0पदा0 को निदेश दिया जात है कि चयनित संस्था (Agri. con. Rural devt. Inst. Harmu,Ranchi) को चयनित ट्रेड के अनुरू SHG/BPL सदस्यों की सूची अविलम्ब उपलब्ध कराते हुए एस0जी0एस0वाई0 की मार्गदर्शिका द अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्न शर्त्तो के आधार पर निर्धारित अवधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे :-

1. संबंधित संस्था के संबंध में जाँचोपरान्त आश्वस्त होने के उपरान्त एकरारनामा के पश्चा प्रशिक्षण प्रारंभ करेंगे ।
2. प्रशिक्षणार्थियों का बी0पी0एल / एस0एच0जी0 सदस्यों का होना अनिवार्य है ।
3. प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु आपको नोडेल पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है। अत आप स्वयं अथवा अपने-अपने अधीनस्त प्रसार पदाधिकारी के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्र अपनी देख-रेख में ही करेंगे ।
4. प्रशिक्षण स्थल का चयन संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी करेंगे ।
5. प्रशिक्षण प्रारंभ एवं समापन की तिथि से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे ।
6. उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के व्यय हेतु राशि यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जा रहा है ।
7. सभी संबंधित प्र0वि0पदा0 को निदेश दिया जाता है [illegible] दिनांक 21.03.11 तक संबंधित संस्था के साथ एकरारनामा के उपरान्त प्रशिक्षण प्रारंभ [illegible]
8. प्रति प्रखंड कर्णांकित राशि (90,000/-) का [illegible] शत अग्रिम स्वरूप राशि भुगतान संबंधित

पंजी में दर्ज निश्चित रूप से करेंगे । शेष राशि का समायोजन प्रशिक्षण समापन के पश्चात् कराना सुनिश्चित करेंगे ।

विश्वासभाजन,

ह०

उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,
गिरिडीह ।

ज्ञापांक......................./अभि0,दिनांक........

प्रतिलिपिः- सचिव, Agri. C.R.D Inst. Harmu, Ranchi को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि उक्त प्रखंडवार प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुरूप सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी से अविलम्ब सम्पर्क स्थापित करें तथा दिनांक 21.03.11 तक निर्धारित तिथि तक एकरारनामा के पश्चात् प्रशिक्षण प्रारंभ करते हुए निम्न शर्तों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे :-

1. प्रशिक्षण प्रारंभ करने के पूर्व प्रत्येक प्र0वि0पदा0 से प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों की सूची, बी0पी0 संख्या, पाठ्यक्रम तालिका, प्रशिक्षण स्थल का ब्यौरा, प्रशिक्षक का नाम, संस्था का पंजीयन सं0/वर्ष, कार्यालय का पता आदि सभी संबंधित प्र0वि0पदा0 से अनुमोदन व सत्यापन के बाद ही करेंगे ।
2. प्रशिक्षण कार्यक्रम प्र0वि0पदा0 द्वारा चयनित स्थल पर ही करेंगे ।
3. प्रशिक्षण के लिये यदि आवासीय आवश्यकता हो तो संस्थान द्वारा व्यय कर किया जायेगा ।
4. प्रशिक्षण सत्र में प्र0वि0पदा0, प्रसार पदाधिकारी, बैंक प्रबंधक, स्थानीय लाईन विभाग तथा जिला परिषद् के नव निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करेंगे ।
5. संस्था अपने बैंक का नाम/खाता सं0 साथ ही कार्यालय का पूरा पता, सचिव का नाम/पिता का नाम/मोबाइल संख्या आदि संबंधित प्रखंड कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे ।
6. स्वरोजगारियों के उपयोग हेतु कच्चेमाल का क्रय संस्था द्वारा किया जायेगा ।
7. आवश्यकता पड़ने पर प्रशिक्षणोंपरान्त प्रशिक्षण से संबंधित व्यवसाय में प्रशिक्षित सदस्यों को विपणन की भी व्यवस्था करेंगे ।
8. प्रशिक्षणोंपरान्त प्रशिक्षितों को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का दायित्व संस्था का होगा।
9. प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रथम अग्रिम बजट का 75 प्रतिशत प्राप्ति के पश्चात् हर कीमत में अग्रिम राशि के अनुरूप वांछित अभिश्रव प्रखंड कार्यालय में यथासमय उपस्थापित करेंगे, ताकि प्रथम अग्रिम का समायोजन 31.03.11 तक सुनिश्चित हो। इसे गंभीरता से लेंगे ।

उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,
गिरिडीह ।

कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची

आदेश

दिनांक 06.08.2010 को आयोजित जिला जलछाजन विकास ईकाई (DWDU) की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में राँची जिला में प्रस्तावित IWMP योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित गैर सरकारी संस्थाओं लाईन विभाग को पी.आई.ए. के रूप में चयन करते हुए उनके नाम के समक्ष अंकित प्रखंड आवंटित किया जाता है:

क्र०	पी.आई.ए. का नाम एवं पता	आवंटित प्रखंड का नाम
1	एग्रीकल्चर कन्सलटेंसी एन्ड रूरल डेवलपमेंट इंस्टीच्यूट, राँची	तमाड़
2	ग्रामीण विकास समिति, रातु, राँची	बुण्डू
3	श्रमिक विद्यापीठ, राँची	चान्हो
4	ह्यूमैनिटी, राँची	सोनाहातु
5	झारखंड स्वाभिमान, राँची	कांके
6	मानवाधिकार संरक्षण सोसाईटी, राँची	नामकुम
7	समग्र चेतना, राँची	ओरमांझी
8	कन्सल्टेन्ट्स फॉर रूरल एरिया इ. लिंक्ड इकॉनामी, राँची	तमाड़
9	कृषि ग्राम विकास केन्द्र, [illegible], [illegible]	बुण्डू
10	आदिवासी कृषक महिला कल्याण परिषद मांडर, राँची	बुड़मू
11	छोटानागपुर क्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाईटी, राँची	रातु
12	आशाकिरण वेलफेयर सोसाईटी, राँची	बुड़मू
13	दीया सेवा संस्थान, राँची	कांके
14	विहार समाज कल्याण संस्थान, धुर्वा राँची	मांडर
15	उद्यमिता विकास केन्द्र, राँची	सिल्ली
16	डहर ग्रामीण, मांडर, राँची	मांडर
17	ह्यूमन वेलफेयर फाउन्डेशन, धुर्वा, राँची	नामकुम
18	आइडिया, राँची।	लापुंग

AGRICULTURAL CONSULTANCY & RURAL DEVELOPMENT INSTITUTE * ACORDI *
MANOJ KUMAR JHA
GENERAL SECRETARY
Reg. No.-1347/88

सभी पी.आई.ए. को आदेश दिया जाता है कि वे Jharkhand Space Application Centre, Ranchi से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित प्रखंडों के लिए PPR (Preliminary Project Reports) तैयार कर इस आदेश के दस दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी

के कार्यालय में समर्पित करेंगे। PPR तैयार करने में इस बात का ध्यान रखा जायेगा उन्हीं क्षेत्रों का ही चयन किया जाये।

जिन क्षेत्रों मे जलछाजन का कार्य पूर्व में नहीं कराया गया है। पूर्व के जिस क्षेत्र में जलछाजन का कार्य कराया गया है उन क्षेत्रों को काटकर प्रत्येक पी.आई.ए. अलग अलग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को चिन्हित कर पी.डी. में उपलब्ध विहित प्रपत्र में PPR तैयार करेंगे। सभी पी.आई.ए. को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि क्षेत्र चयन में Overlapping नहीं किया गया है। निर्धारित समय के बाद PPR स्वीकार नहीं किया जायेगा। निर्धारित समय सीमा के अन्दर संबंधित PIA से यदि PPR प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि संस्था कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है।

उप विकास आयुक्त
रांची।

ज्ञापांक 3121 /जि०ग्रा०. दिनांक 22/9 /2010

प्रतिलिपि: सभी चयनित पी.आई.ए., रांची जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

उप विकास आयुक्त
रांची।

ज्ञापांक 3121 /जि०ग्रा०. दिनांक 22/9 /2010

प्रतिलिपि: श्री बी. निजलिंगप्पा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (JSWM-SLNA) ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त,
रांची।

उपायुक्त -सह- जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो

दिनांक 13.07.2011 को प्रथम डी0एल0एस0जी0एस0वाई की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :- पंजी अनुसार।

आज दिनांक 13.07.11 को प्रथम डी0एल0एस0जी0एस0वाई0 की बैठक में निम्नांकित बिन्दुओं पर निर्णय लिया गया।

1. इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 134/अभि0 दिनांक 04.02.11 के द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस0जी0एस0वाई0) अंतर्गत बोकारो जिला के विभिन्न प्रखंडों में गठित स्वयं सहायता समूहों के स्वरोजगारियों को जिला स्तर पर कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु विभिन्न ट्रेडों में Expression of Interest के तहत आवेदन आमंत्रित किये गये थे। विज्ञापन में दिये गये मापदण्ड को पूरा करने वाले एन0जी0ओ0 को उनके दिये गये ट्रेड के अनुरूप स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु निम्नांकित रूप से चयन करने का निर्णय लिया गया।

क्रमांक	ट्रेड	एन0जी0ओ0 का नाम
1	फुड क्रॉपस	1. कल्पतरू 2. अगर संस्कार कल्याण केन्द्र,
2	सब्जी उत्पादन	1. मछुआरा युवा मंच
3	सेमरी	1. कल्पतरू 2. अगर संस्कार कल्याण केन्द्र 3. मछुआरा युवा मंच
4	बकरी पालन	1. हिन्दुस्तान युवा समिति 2. अगर संस्कार कल्याण केन्द्र 3. कल्पतरू 4. मछुआरा युवा मंच 5. एग्रीकल्चर कन्सलटेन्सी एण्ड रूरल डेवलेप्मेंट इन्सटीच्यूट
5	सुअर पालन	1. हिन्दुस्तान युवा समिति 2. कल्पतरू
6	मुर्गी पालन / पॉल्ट्री	1. जोर 2. कल्पतरू 3. आदर्श ग्राम विकास सेवा समिति 4. हिन्दुस्तान युवा समिति 5. अगर संस्कार कल्याण केन्द्र 6. मछुआरा युवा मंच 7. एग्रीकल्चर कन्सलटेन्सी एण्ड रूरल डेवलेप्मेंट इंस्टीच्यूट
7	फूल की खेती	1. आदर्श ग्राम विकास सेवा समिति 2. अगर संस्कार कल्याण केन्द्र 3. कल्पतरू 4. भारतीय जनता विकास समिति

AGRICULTURAL CONSULTANCY & RURAL DEVELOPMENT INSTITUTE ACORDI
MANOJ KUMAR JHA
GENERAL SECRETARY
Reg. No. 434/87-88
169/2005-06
H-279, Harmu, Ranchi
Jharkhand

8	हर्टीकल्चर	1. आर्दश ग्राम विकास सेवा समिति 2. अमर संस्कार कल्याण केन्द्र 3. कल्पतरु
9	मशरूम	1. जोर 2. आर्दश ग्राम विकास सेवा समिति 3. अमर संस्कार कल्याण केन्द्र.
10	कम्प्यूटर प्रशिक्षण	1. जोर 2. आधुनिक महिला उत्थान समिति 3. अमर संस्कार कल्याण केन्द्र 4. सोसाईटी फॉर रूरल एण्ड इकनोमिक डेवलेपमेंट इन्सीच्यूट 5. मछुआरा युवा मंच
11	सीमेंट गारमेंट	1. आर्दश ग्राम विकास सेवा समिति 2. जोर 3. आधुनिक महिला उत्थान समिति 4. अमर संस्कार कल्याण केन्द्र 5. सोसाईटी फॉर रूरल एण्ड इकनोमिक डेवलेपमेंट इन्सीच्यूट 6. हिन्दुस्तान युवा समिति
12	टेलरिंग एव फैशन डिजाईनिंग	1. जोर 2. आर्दश ग्राम विकास सेवा समिति 3. हिन्दुस्तान युवा समिति 4. आर्दश एस0एच0जी0 5. अमर संस्कार कल्याण केन्द्र 6. सोसाईटी फॉर रूरल एण्ड इकनोमिक डेवलेपमेंट इन्सीच्यूट 7. मछुआरा युवा मंच 8. एग्रीकल्चरल कन्सलटेन्सी एण्ड रूरल डेवलेपमेंट इस्टीच्यूट
13	ऑटोमोबाईल रिपेयरिंग	1. अमर संस्कार कल्याण केन्द्र.
14	मोबाईल रिपेयरिंग	1. जोर 2. हिन्दुस्तान युवा समिति 3. अमर संस्कार कल्याण केन्द्र
15	सॉफ्ट टवायज	1 जोर 2. आर्दश ग्राम विकास सेवा समिति 3. आर्दश एस0एच0जी0 4. आधुनिक महिला उत्थान समिति 5. अमर संस्कार कल्याण केन्द्र
16	हैंडीक्राफ्ट	1. जोर 2. अमर संस्कार कल्याण केन्द्र 3. हिन्दुस्तान युवा समिति 4. आधुनिक महिला उत्थान समिति
17	लाह	1. सर्वांगिन विकास समिति

		8. एग्रीकल्चरल कन्सलटेन्सी एण्ड रूरल डेवलेपमेंट इंस्टीच्यूट	जरीडीह
13	ऑटोमोबाईल रिपेयरिंग	1. अमर संस्कार कल्याण केन्द्र	सभी प्रखंड
14	मोबाईल रिपेयरिंग	1. जोर	गोमिया, बेरमो, पेटरवार
		2. हिन्दुस्तान युवा समिति	चास , चंदनकियारी, कसमार
		3. अमर संस्कार कल्याण केन्द्र	जरीडीह, नावाडीह, चन्द्रपुरा
15	सॉफ्ट टवायज	1. जोर	बेरमो, पेटरवार
		2. आर्दश ग्राम विकास सेवा समिति	चन्द्रपुरा, नावाडीह
		3. आर्दश एस0एच0जी0	चास, जरीडीह
		4. आधुनिक महिला उत्थान समिति	चंदनकियारी
		5. अमर संस्कार कल्याण केन्द्र	कसमार, गोमिया
16	हैंडीक्राफ्ट	1. जोर	गोमिया, बेरमो, चन्द्रपुरा
		2. अमर संस्कार कल्याण केन्द्र	जरीडीह, कसमार
		3. हिन्दुस्तान युवा समिति	पेटरवार, नावाडीह
		4. आधुनिक महिला उत्थान समिति	चास, चंदनकियारी
17	लाह	1. सर्वांगिन विकास समिति	सभी प्रखंड

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुचारू रूप से कार्यान्वयन कराने हेतु निम्न प्रकार निर्देश दिये जाते है :–

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।
2. उपर्युक्त अंकित एन0जी0ओ0 का चयन मात्र स्वयं सहायता समूहों के स्वरोजगारियों के कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु किया गया है।
3. संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व संबंधित चयनित स्वयं सेवी संस्थाओं से एकरारनामा करना सुनिश्चित करेंगे।
4. चयनित स्वयं सेवी संस्था से प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करवाकर प्रखंड के महिला प्रसार पदाधिकारी/ प्रखंड एस0जी0एस0वाई0 प्रभारी से सहमति प्राप्त कर प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा, जिसकी एक प्रति जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बोकारो में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
5. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को एस0एच0जी0 समूह का सदस्य होना अनिवार्य है।
6. सभी चयनित स्वयं सेवी संस्थाओं को प्रशिक्षण प्रारंभ करने के पूर्व प्रशिक्षार्थियों हेतु पाठ्यक्रम तालिका, प्रशिक्षण का स्थल, प्रशिक्षक का नाम, संस्था का निबंधन संख्या, वर्ष, पता इत्यादि प्रखंड मुख्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

7. प्रशिक्षण से संबधित कार्यकलापों की फोटोग्राफी, विडियोग्राफी, प्रशिक्षणार्थियों के पाठ्यक्रम का मूल्यांकन एवं अभिश्रव इत्यादि विहित प्रपत्र में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे, जिसकी जॉच एस0जी0एस0वाई0 मार्ग निर्देशिका के अनुरूप प्रखंड विकास पदाधिकारी करने के उपरांत स्वयं सेवी संस्था को भुगतान करते हुए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

8. प्रशिक्षण सत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी के अलावे बैंक प्रबंधक तथा संबंधित विभाग के पदाधिकारी को भी आमंत्रित करेंगे।

9. प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षार्थियों को अल्पाहार, भोजन, आने–जाने का एक मुश्त मार्ग व्यय, आवासीय व्यवस्था इत्यादि का समुचित प्रबंध एवं व्यय का वहन चयनित स्वयं सेवी संस्था द्वारा किया जाएगा, जिसका भुगतान उन्हें संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से किया जाएगा।

10. प्रशिक्षणोपरांत प्रशिणार्थियों को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का दायित्व चयनित स्वयं सेवी संस्था का होगा।

11. प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रखंड विकास पदाधिकारी/महिला प्रसार पदाधिकारी/ प्रखंड एस0जी0एस0वाई0 प्रभारी के देख–रेख में कराया जाएगा।

12. प्रशिक्षण के पूर्व प्रशिक्षण स्थल का भ्रमण संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/महिला प्रसार पदाधिकारी/ प्रखंड एस0जी0एस0वाई0 प्रभारी करेंगे।"

13. ट्रेडवार प्रशिक्षण की अवधि का निर्धारण संबंधित–प्रखंड विकास पदाधिकारी/महिला प्रसार पदाधिकारी/प्रखंड एस0जी0एस0वाई0 प्रभारी द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षण की अवधि अधिकतम 15 दिनों का होगा।

AGRICULTURAL CONSULTANCY & RURAL DEVELOPMENT INSTITUTE "ACORDI"
MANOJ KUMAR JHA
GENERAL SECRETARY
Reg. No.-134/87-88
H-279, Harmu, Ranchi
Jharkhand

ह0/-
उप विकास आयुक्त,
बोकारो

ज्ञापांक 688 / अभि0, बोकारो/ दिनांक 29/3/11

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित चयनित एन0जी0ओ0 को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/महिला प्रसार पदाधिकारी/प्रखंड एस0जी0एस0वाई प्रभारी, बोकारो जिला को सूचनार्थ तथा अपने प्रखंड के लिए चयनित एन0जी0ओ0 के साथ एकरारनामा करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अग्रणी जिला प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, सेक्टर –4/डी0डी0एम0, नाबार्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उपायुक्त, बोकारो को सादर सूचनार्थ प्रेषित।